5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

151/25.2.2016

नि. = 964-PBR-16   पुन.प्र.क्र.   /2015–16

माननीय राजस्व परिषद मध्यप्रदेश ग्वालियर

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री विजय इसारे
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 25.2.2016
को प्रस्तुत।

(1) इम्तयाज पिता अब्दुल रजाक जाति मुसलमान आयु 40 वर्ष

(2) इशाक पिता अब्दुल रजाक जाति मुसलमान आयु 3_ वर्ष

दोनों काश्तकार एवं निवासी भीकनगांव तहसील भीकनगांव

जिला खरगोन (म.प्र.)   — आवेदकगण

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधीक्षक परिवर्तित भूमि खरगोन   — अनावेदक

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता पुनरीक्षण याचिका ।

इसमें हम आवेदकगण, श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर सम्भाग इन्दौर इन्होंके रा.अपील प्र.क्र.79/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 29/12/2015 जिसमें उन्होंने अपर कलेक्टर खरगोन के दिनांक 15/9/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होना मान कर सुनवाई हेतु अग्राह्य किये जाने का आदेश दिनांक 29/12/2015 को पारित किया, से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका अन्य कारणो के साथ–साथ निम्न कारणो से प्रस्तुत करते हैः–

R.964-PBR/16

प्रस्तुतकार

20.4.2016

आवेदक की ओर से श्री मधुसूदन सोनी अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील लगभग 70 दिन पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने हेतु 45 दिवस की समय सीमा निर्धारित है। इस प्रकार मात्र 25 दिवस का विलंब अपील प्रस्तुत करने में हुआ है। सामान्यतः समय सीमा जैसे तकनीकी आधार पर अपील निरस्त नहीं करना चाहिये जब तक कि असाधारण विलंब न हुआ हो, जिससे पक्षकार को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29.12.2015 इसी स्तर पर निरस्त कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य करते हुये गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रकरण अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

अध्यक्ष